

Counter - 13




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp



Certificate No.	: IN-DL300027811606540
Certificate Issued Date	: 19-Dec-2016 09:34 AM
Account Reference	: [REDACTED]
Unique Doc. Reference	: [REDACTED]
Purchased by	: RAHEJA DEVELOPERS LTD
Description of Document	: Article 5 General Agreement
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: RAHEJA DEVELOPERS LTD
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: RAHEJA DEVELOPERS LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 50 (Fifty only)



.....Please write or type below this line.....

करार

[REDACTED] दिनांक [REDACTED] को केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्लैट देने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और इसमें नीचे नामित लाभार्थियों के बीच किया जाता है क्योंकि कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 का स्व-स्थाने विकास कार्य शुरु किया जा रहा है।



Certificate should be verified at "www.s
invalid.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

For RAHEJA Developers Certificate and as



- 1- लाभार्थी को ट्रांजिट कैम्प व कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 में फ्लैट आवंटन के पश्चात वैलफेयर एसोसिएशन बनाकर क्षेत्र के रखरखाव एवं स्वच्छता में भागीदारी निभानी होगी।
- 2- लाभार्थियों को उनके ट्रांजिट कैम्प में रहने के दौरान बिजली प्रभारों का भुगतान प्री-पेड बिजली मीटरों के माध्यम व पानी प्रभारों, यदि मीटर न लगा हुआ हो, का भुगतान आनुपातिक आधार पर दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली विकास प्राधिकरण को करना होगा।
- 3- लाभार्थी वचन देता है कि वह फ्लैट आवंटन के बाद किसी स्थान का अतिक्रमण नहीं करेगा और ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र में भी किसी अन्य प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा व किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।
- 4- यह आवास केवल लाभार्थी व उनके परिवार के लिए ही है और 10 वर्षों तक यह किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किराये पर/पट्टे पर नहीं दिया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा।
- 5- लाभार्थी को सरकारी निर्धारित रेट के अनुसार रुपये 1,12,000/- (एक लाख बारह हजार रुपये) फ्लैट की कीमत कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 में आबंटित फ्लैट के लिए अदा करनी होगी। इसके अतिरिक्त रुपये 30,000/- 5 वर्ष तक रखरखाव के लिए अदा करेंगे। रखरखाव आरडब्ल्यूए द्वारा किया जायेगा।

के अन्तर्गत 10 वर्षों के पश्चात् लाभार्थी का फ्लैट फ्रीहोल्ड में परिवर्तित होगा।
राशि बैंक से ऋण लेकर भी चुकाई जा सकती है।

को झुग्गी खाली करने के बाद, पुनर्विकसित कठपुतली कॉलोनी में फ्लैट, जिसका साईज 30.5 वर्ग मीटर होगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, दो वर्षों में कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 में बना दिया जायेगा।

- 7- लाभार्थियों को पहले कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 से ट्रांजिट कैम्प में तथा फिर पुनर्विकसित कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 में स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसपोर्ट/यातायात की व्यवस्था होगी। अलाटमेंट की प्रक्रिया डीडीए व आर. डब्ल्यू. ए. मिल कर तय करेंगे। अन्त में लाभार्थी को मकान पुनर्विकसित कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 में दे दिया जायेगा। विद्यमान स्लम निवासियों को इस पुनः स्थान निर्धारण के लिए किया गया करार विकासकर्ता (बिल्डर) तथा दि.वि. प्रा. के बीच पहले से ही हस्ताक्षरित मूल करार द्वारा शासित होगा।


Counter - 13

- 3 -

8- डीडीए उस प्रत्येक लाभार्थी परिवार को जिसके पास झुग्गी है, परिवार है व संलग्न लिस्ट में से कोई भी दो सत्यापित दस्तावेज 31 जनवरी 2011 से पहले जारी किये गये हो, उसको यथा स्थाने फ्लैट देने के लिए वचनबद्ध रहेगा।

लाभार्थी :


मकान मालकिन



(नाम)

हस्ताक्षर

मकान मालिक :



(नाम)

हस्ताक्षर

पता :



कृते रहेजा डवलपर्स लिमिटेड

RAHEJA DEVELOPERS LTD.

Authorised Signatory

Deputy Development
Kalyani Colony Proj.
कृते लि.व.प्रा.

हस्ताक्षर

(नाम)

हस्ताक्षर

